अपील क्रमांक 184/बो.प्र./नि.स./2023
कार्यालय प्रमुख अभियंता (बोधी प्रकोष्ट)
जल संसाधन विभाग,
शिवनाथ भवन, सेक्टर–19,
अटल नगर, नवा रायपुर

दिनांक /02/2023

अपील प्रकरण क्रमांक 184/बो.प्र./नि.सहा./2022

अपीलार्थी		**उत्तरवादी**
श्री सुनील सिंह, बिजली आफिस के पीछे, परशुराम वार्ड भाटापारा, जिला बलौदाबाजार (छ.ग.) मो.नं. 7987040970	**विरूद्ध**	श्री ए.के. साय, जनसूचना अधिकारी,कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, नवा रायपुर (छ.ग.)

आदेश दिनांक 17.02.2023

1 अपीलार्थी श्री सुनील सिंह अनुपस्थित।,

2. जनसूचना अधिकारी श्री ए.के. साय उपस्थित।

3. प्रकरण संक्षेपः

(i) आवेदक/अपीलार्थी ने अपने आवेदन पत्र दिनांक 22.12.2022 द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जल संसाधन विभाग में कार्यरत "कार्यभारित कर्मचारियों की पदोन्नति स्थापना के पदों पर करने का प्रावधान है या नहीं" के संबंध में शासन द्वारा विभाग को जारी किये गये आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था।

(ii) जनसूचना अधिकारी ने पत्र क्रं. 748, दिनांक 24.01.2023 द्वारा आवेदक को पंजीकृत डाक से सूचित किया कि चाही गई वांछितजानकारी कुल 04 पृष्ठों में सत्यापित कर प्रदान की गई।

(iii) आवेदक/अपीलार्थी ने जनसूचना अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी विषय के अनुरूप नहीं है एवं पूर्णतः भ्रामक तथा गुमराह करने वाला जानकारी दिये जाने से असंतुष्ट होकर दिनांक 08.02.2023 द्वारा प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत किया, जो दिनांक 08.02.2023 को प्रथम अपीलीय अधिकारी को प्राप्त हुआ। प्रकरण की सुनवाई दिनांक 17.02.2023 को समय दोपहर 12.00 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के कक्ष क्र.SA-9,कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर में निर्धारित किया गया।

4. जनसूचना अधिकारी द्वारा आज दिनांक 17.02.2023 को सुनवाई में उपस्थित होकर बताया गया कि आवेदक/अपीलार्थी का आवेदन पत्र प्राप्त हुआ। उपरोक्त वांछित जानकारी प्राप्त करने हेतु नस्ती स्थापना शाखा में प्रस्तुत की गई। स्थापना शाखा से प्राप्त टीप अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी कुल 4 पृष्ठों में प्राप्त हुई। उक्त टीप के आधार पर अपीलार्थी को इस कार्यालय के पत्र क्रं. 748, दिनांक 24.01.2023 द्वारा वांछित जानकारी सत्यापित कर पंजीकृत डाक से प्रेषित की गई।

5. चूँकि आवेदक सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए अतएव उनके अनुपस्थिति में प्रकरण में गुणदोष के आधार पर परीक्षण किया गया। जनसूचना अधिकारी द्वारा आवेदक को उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के अवलोकन करने पर यह पाया गया कि आवेदक द्वारा चाही गई जानकारी से यह अभिलेख पृथक है। इस कारण से आवेदक की आपत्ति उपयुक्त है। अतएव इस अनुक्रम में जनसूचना अधिकारी का कथन है कि उन्हें संबंधित कक्ष से जो

जानकारी उपलब्ध कराई गई, उसे उनके द्वारा सत्यापित कर अपीलार्थी को समय पर उपलब्ध कराई गई। चूँकि आवेदक को वांछित जानकारी प्रदाय नहीं की गई अतएव सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुरूप निराकृत। अपीलार्थी को निर्धारित समय सीमा में चाही गई सत्याप्रित जानकारी बिना शुल्क के प्रदाय किये जायें।

इस आदेश की प्रति संबंधित पक्षों को निःशुल्क प्रदान की जाती है। इस आदेश से असंतुष्ट पक्ष, इसके विरूद्ध 90 दिनों के भीतर छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, नार्थ ब्लाक, सेक्टर–19, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.) पिन 492002 के कार्यालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत कर सकते है।

हस्ता/–
(ओ.पी. चंदेल)
प्रथम अपीलीय अधिकारी,
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग,
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

पृ.क्रं./184/बो.प्र./नि.स./2023/1531 **रायपुर, दिनांक 17/02/2023**

प्रतिलिपिः–

1. अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस., कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। कृपया उक्त आदेश को विभाग के बेबसाईट (RTI) में अपलोड कराने का कष्ट करें।
2. श्री ए.के. साय, जनसूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. श्री सुनील सिंह, बिजली आफिस के पीछे, परशुराम वार्ड भाटापारा, जिला बलौदाबाजार (छ.ग.)

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

17/02/2023
(ओ.पी. चंदेल)
प्रथम अपीलीय अधिकारी,
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग,
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)